

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

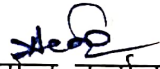
पत्रांक/04बे0स्थाप0/1564-65 /संशो0पात्रता सूची/2025-26 दिनांक 17 मई 2025
विषय:- जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती (जून 2024) एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण याचिका-42-43/2025 में दिनांक 05.03.2025 को पारित निर्णयादेश के अनुपालन में एन0आई0ओ0एस0 डी0एल0एड0 एवं पांचवी काउंसिलिंग के उपरान्त अवशेष डी0एल0एड0 अभ्यर्थियों की संशोधित पात्रता सूची का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/प्रा0शि0-दो(2)/785(II)-2024/1639-41/2025-26 दिनांक 09 मई 2025 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती (जून 2024) एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण याचिका-42-43/2025 में दिनांक 05.03.2025 को पारित निर्णयादेश के अनुपालन में एन.आई.ओ.एस. डी.एल.एड. एवं पांचवी काउंसिलिंग के उपरान्त अवशेष डी.एल.एड. अभ्यर्थियों की संशोधित पात्रता सूची तथा अवशेष रिक्त पदों की सूची, प्रकाशित विज्ञप्ति एवं आवश्यक दिशा-निर्देश आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं कि उक्त को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- संशोधित पात्रता सूची/अवशेष रिक्त पदों की सूची/विज्ञप्ति/दिशा निर्देश।

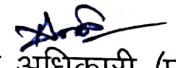
भवदीय


(नागन्द्र बत्वाल)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

पृ00सं0/04 बे0स्थाप0/1564-65 /संशो0पात्रता सूची/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- एम0आई0एस0 प्रभारी महानिदेशालय, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूची को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल ।

विज्ञप्ति संख्या/ 1563

/प्रमाण पत्रों की जांच/2025-26 दिनांक : 17 मई, 2025

विज्ञप्ति/काउंसिलिंग/प्रमाण पत्रों का सत्यापन

इस कार्यालय के आदेश संख्या/प्रा०शि०-विज्ञप्ति/60/स०अ०(प्राथमिक)/2024-25 दिनांक 10.06.2024 द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रख्यापित किया गया था, इसके सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की पूर्व में प्रख्यापित प्रवीणता सूची के आधार पर नियुक्तियों की जा चुकी है। पांचवी काउंसिलिंग की तिथि घोषित होने के दौरान मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिव्यू पिटिशन संख्या-4964/2024 में दिनांक 10-12-2024 को अन्तिम आदेश पारित किया गया एवं तदक्रम में ट्रान्सफर पिटिशन संख्या : 42-43/2025 दिनांक 05-03-2025 को अन्य निर्देशों के साथ निर्णीत की गयी। मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/785(ii)-2024/1639-41 दिनांक 09 मई 2025 का अनुपालन करते हुए पूर्व प्रख्यापित विज्ञप्ति के अवशेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु एन.आई.ओ.एस. से डी.एल.एड. प्रशिक्षण एवं टी.ई.टी.-प्रथम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती में सम्मिलित करते हुए नवीन प्रवीणता सूची प्रख्यापित की गयी है। (जिसमें वर्ष 2020 एवं 2024 की विज्ञप्ति के एन.आई.ओ.एस. डी.एल.एड प्रशिक्षण अभ्यर्थियों के समस्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित किया गया है एवं वर्तमान भर्ती की पूर्व प्रख्यापित प्रवीणता सूची से सम्बन्धित कैटेगरी के अन्तिम चयनित अभ्यर्थी तक के अभ्यर्थियों से आगे अवशेष आवेदन पत्रों को सम्मिलित किया गया है।)

समस्त अभ्यर्थियों की सूची, अवशेष रिक्त पदों की सूची एवं दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर प्रदर्शित किये गये हैं। प्रख्यापित अवशेष रिक्तियों की आपूर्ति इस प्रवीणता सूची के माध्यम से की जानी है। इस हेतु प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु दिनांक 24-05-2025 की तिथि निर्धारित की जाती है। पद विशेष हेतु उस वर्ग की श्रेष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु आमंत्रित किया जायेगा। पुकार होने पर अनुपस्थित पाये गये अभ्यर्थी को भविष्य में किसी भी दशा में कोई अवसर प्रदान नहीं किया जा सकेगा एवं तत्काल उसी समय अगले क्रमांक के अभ्यर्थी को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा।

प्रवीणता सूची में सम्मिलित सम्बन्धित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे अपने समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों सहित जो नियुक्ति की पात्रता हेतु प्रासंगिक है, मूल में चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। (एन.आई.ओ.एस. डी.एल.एड. अभ्यर्थियों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त उनके सेवारत होने से सम्बन्धित प्रमाणित साक्ष्य भी यथा नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, प्रबन्धन/संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अनुमोदन, वेतन विवरण, उपस्थिति, पठन-पाठन की समय सारिणी, दिनांक 10 अगस्त 2017 को सेवारत होने एवं दिनांक 31 मार्च 2019 को एन.आई.ओ.एस. डी.एल.एड. उपाधि प्राप्त किया जाना इत्यादि।) प्रस्तुत करने होंगे। काउंसिलिंग/प्रमाण पत्रों की जांच/सत्यापन में प्रतिभाग करने मात्र से नियुक्ति प्राप्त किये जाने का दावा मान्य नहीं होगा। चयन रिक्त पदों की सीमा तक ही किया जायेगा।

एन.आई.ओ.एस. डी.एल.एड. उपाधि धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नितान्त रूप से उनके सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने की प्रमाणित पुष्टि के अधीन रहेगी।



(नागेश बर्तवाल)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

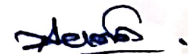
पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक/04बे०स्थाप०/ 1563

/प्रमाण पत्रों की जांच/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-

सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण/अमर उजाला पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति अपने दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्र के राज्य संस्करण अंक में न्यूनतम शासकीय दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें, तथा भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

पौड़ी गढ़वाल।

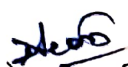
कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) पौड़ी गढ़वाल।

“आदेश/निर्देश”

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत सहायक अध्यापक प्राथमिक के अवशेष रिक्त पदों पर दिनांक 24 मई 2025 को छठी काउन्सिलिंग/प्रमाण पत्रों की जांच/सत्यापन तिथि को अभ्यर्थी निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रतिभाग करेंगे।

1. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।
2. अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
3. स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (यदि सेवाकाल में द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण किया गया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति)।
5. दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र मूलप्रति।
6. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 संख्या 164/XXX-2/19-01(17)/2012 देहरादून दिनांक 28.06.2019 द्वारा प्रख्यापित “उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोकसेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019” के प्राविधान से आच्छादित है तो सम्बंधित अभिलेख की मूलप्रति।
8. वर्ष 2020 के डी0एल0एड0 आवेदनकर्ता, जो पूर्व में चयनित नहीं हुए हैं, तथा जिन्हें पूर्व आवेदन के अनुसार वर्तमान प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है, के चयनित होने की दशा में समान पद पर पूर्व से कार्यरत न होने सम्बंधी शपथ पत्र।
9. उत्तराखण्ड राज्य के बाहर अन्य राज्य से सम्बंधित अभ्यर्थी, जिनका विवाह उत्तराखण्ड राज्य में हुआ हो, के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विवाह होने से सम्बंधित विवाह प्रमाण का शपथ पत्र। (शासनादेश संख्या-254/कार्मिक-2/2002 दिनांक 10-10-2002 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा।
10. एन.आई.ओ.एस. डी.एल.एड. अभ्यर्थियों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त उनके सेवारत होने से सम्बंधित प्रमाणित साक्ष्य भी यथा नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, प्रबन्धन/संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अनुमोदन, वेतन विवरण, उपस्थिति, पठन-पाठन की समय सारिणी, दिनांक 10 अगस्त 2017 को सेवारत होने एवं दिनांक 31 मार्च 2019 को एन.आई.ओ.एस. डी.एल.एड. उपाधि प्राप्त किया जाना इत्यादि।) प्रस्तुत करने होंगे।
11. प्रदेश के बाहर डी0एल0एड0 किये जाने की स्थिति में सम्बंधित अभ्यर्थी को इस अशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु सम्बंधित प्रदेश में (जहां से डी0एल0एड0 किया गया) स्थाई नागरिकता की बाध्यता नहीं है।
12. समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति दो-दो प्रतियों में फाइल कवर में संलग्न कर साथ लायें।

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्धारित तिथि को काउन्सिलिंग/प्रमाण पत्रों की जांच/सत्यापन में प्रतिभाग नहीं किया जाता है तो उनके अभ्यर्थन पर भविष्य में कोई विचार नहीं किया जायेगा।


(नागेन्द्र बर्तवाल)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक 20.12.2024 (पाचवीं काउंसिलिंग) तक सम्पन्न हो चुकी भर्ती के उपरान्त श्रेणीवार अवशेष पदों की संख्या जनपद पौड़ी।

क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पद
1	अनुसूचित जाति	0
2	अनुसूचित जनजाति	7
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	24
5	अनारक्षित वर्ग	0
6	दिव्यांग	10
कुल योग		41